



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052026-272233
CG-DL-E-04052026-272233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2077]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2077]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2155(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड उक्त सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

तालिका

| राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड | चैनेज/लंबाई किमी में |
|---------------------------|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| "नया रारा-913 | (i) ट्यूटिंग- जिडो- सिंघा- अनेली- हुन्ली- खुपा- हयुलियांग- चैनक्वैन्टी- हवाई- मियाओ- डेबन- रामनगर- विजयनगर खंड (ii) टाटो से शुरू होकर मोर्निगोंग तक पहला स्पर (iii) पांगो से शुरू होकर जोरिंग (सीमा) तक दूसरा स्पर (iv) मियाओ से शुरू होकर खारसंग तक तीसरा स्पर (अरुणाचल प्रदेश राज्य में) | किमी 883.06" |

[फा. सं. एनएच-14013/10/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2155(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

Table

| National Highways No. (1) | Section of National Highways (2) | Chainage/ length in km (3) |
|---------------------------|---|----------------------------|
| "New NH- 913 | (i). Tuting- Jido- Singha- Anelye- Hunli- Khupa- Hayuliang- Chenquenty- Hawaii- Miao- Deban- Ramnagar- Vijaynagar section (ii). First spur starting from Tato and upto Monigong (iii). Second spur starting from Pango and upto Joring (border) (iv). Third spur starting from Miao and upto Kharsang (In the state of Arunachal Pradesh) | 883.06 km" |

[F. No. NH-14013/10/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2156(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन उक्त सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

तालिका

| राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1) | राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2) | चैनेज/लंबाई किमी में (3) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| "नया रारा- 913 | बोमडिला-नफरा-डिब्रिक-सचुंग-लाडा-सरली-हुरी-पारसी पारलो-ताली-तालीहा-टाटो-बिले-मिगिंग-ट्यूटिंग खंड (अरुणाचल प्रदेश राज्य में) | किमी 947.00" |

[फा. सं. एनएच-14013/10/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2156(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

Table

| National Highways No. (1) | Section of National Highways (2) | Chainage/ length in km (3) |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| "New NH- 913 | Bomdila- Nafra- Dibrick- Sachung- Lada- Sarli- Huri- Parsi Parlo- Tali- Taliha- Tato- Bile- Migging- Tuting section (In the state of Arunachal Pradesh) | 947.00 km" |

[F. No. NH-14013/10/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2157(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत

परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 2 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|----------------------------|
| "2 | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37, संख्या 52 [किमी 511.000 से किमी 520.300 (रक्सिन गेट (असम/अरुणाचल प्रदेश सीमा) को छोड़कर)- ओयान- खंड], ओयान- पासीघाट (रानाघाट ब्रिज) खंड (29.0 किमी) और किमी 688.000 से किमी 806.75 (दिगारू चोखाम खंड)], संख्या 52ए, संख्या 52बी, संख्या 153, संख्या 229 [किमी 0.00 से किमी 233.00 (तवांग बोमडिला निचिपु) को छोड़कर], नई रारा सं. 113 [किमी 68.550 से किमी 63.129 तक (अरोवा-हवाई खंड)] और नई रारा सं. 315ए, नई रारा सं. 513, नई रारा सं. 713ए के उतने भाग अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। | अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार |

[फा. सं. एनएच-14013/10/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-1999(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2157(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---|
| "2 | So much of National Highways No. 37, No. 52 [excluding from Km 511.000 to 520.300 (Ruksin Gate (Assam/Arunachal Pradesh border)- Oyan- section), from Oyan- Pasighat (Ranaghat Bridge) section (29.0 Km) and from Km. 688.000 to Km. 806.75 (Digaru Chowkham section)], No. 52A, No. 52B, No. 153, No. 229 [excluding from Km. 0.00 to Km. 233.00 (Tawang Bomdila Nichipu)], new NH No. 113 [excluding from Km 68.550 to Km 91.633 and from Km 0 to Km 63.129 (Arrowa-Hawai section)], new NH No. 315A, new NH No. 513, new NH No. 713A as are situated within the State of Arunachal Pradesh. | State Government of Arunachal Pradesh". |

[F. No. NH-14013/10/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1999 (E), dated the 22th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2158(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण सं. 1258, दिनांक 20 मार्च, 2023 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1309(अ) और 1310(अ), दिनांक 20 मार्च, 2023 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/10/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2158(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1309(E) and 1310(E), dated the 20th March, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary No. 1258 dated 20th March, 2023, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/10/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director